न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/118/2022	2022/222	15.09.2022	09.04.2024

1. तुलसीदास पुत्र श्री किशनदास दादूपंथी, निवासी मोतीवाडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर, राजस्थान।

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 25.08.2022 तहसीलदार राजगढ प्रकरण संख्या 58/2022।

उपस्थितः—

01. श्री दलेर सिंह

—वकील अपीलाण्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 25.08.2022 प्रकरण संख्या 58/2022 जिसके द्वारा संवत 2079 में ग्राम मोतीवाडा की आराजी खसरा न0 1203 रकबा 0.07 है0 किस्म गै0मु0 शमशान पर अतिक्रमण कर पेड—पौधे लगाने पर 50 गुणा पैनल्टी एवं बेदखली की कार्यवाही से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वार मिन अपीलान्ट को आराजी खसरा न0 1203 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ की अतिक्रमी मानते हुए उक्त आराजी से बेदखल करने एवं शरह लगान 1/—रूपया की 50 गुणा राशि 50/—रूपये की पैनल्टी कायम की जाकर दिनांक 25.08.2022 को आदेश पारित किया गया है। जिससे यह अपील पेश की जा रही है। उपरोक्त विवादित आराजी खसरा न0 1203 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ कभी भी सिवायचक गै0मु0 शमशान की भूमि नहीं रही है। बल्कि उक्त भूमि शुरू से ही दादूपंथी की रही है जिसमें देवीदेवाताओं के पग बने हुए हैं और उनकी मिन अपीलान्ट व उनके बुजुर्ग पूजा पाठ करते चले आ रहें हैं। उक्त आराजी बंदोवस्त 2048 से पूर्व खसरा न0 641 थे तथा उससे पूर्व सम्वत् 2020 से पूर्व खसरा न0 182 रकबा 4 बिसवा थे। जिसके साबिक खातेदार बालकदास चेला लक्ष्मणदास थे। किन्तु बंदोवस्त संवत 2020 के दौरान संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों ने बिना किसी हक व अधिकार के एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय के खसरा न0 641 कायम करते हुए सिवायचक गै0मु0 मरघट कर दिया गया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड का कोई अवलोकन नही किया है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय प्रेसक्राईब्ड तौर पर पारित किया गया है। जिसमें प्रकरण कोई तथ्य विस्तृत रूप से दर्ज नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 04.08.2022 को दायर हुई और महज 20 दिनां में ही अर्थात दिनांक 25.08.2022 को मनमाने रूप से निर्णय पारित कर दिया। मिन अपीलान्ट द्वारा बाद तलबी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जबाव पेश किया, लेकिन ना तो उस पर कोई गौर किया और ना ही अपने निर्णय मे जवाब का हवाला दिया गया है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राज के संबंध में माननीय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के समक्ष वाद दायर किया गया है। जिसमें तहसीलदार साहब भी बतोर प्रतिवादी पक्षकार दर्ज है। जिन्हें प्रकरण के सभी तथ्यों की पूरी तरह जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से अपना निर्णय पारित किया गया है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। कानून जब विवादित आरजी की बाबत वाद विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपना निर्णय पारित नही करना चाहिए। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई है वह मिन अपीलान्ट से रंजिश रखने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव व दवाब में खिलाफ मौका प्रस्तुत की है। जिस रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेजा विश्वास किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिन अपीलांट को साक्ष्य सफाई व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही न्याय संगत नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार राजगढ का निर्णय दिनांक 25.08.2022 निरस्त किया जावे ।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी की अतिक्रमण रिपोर्ट दिनांक 04.08.2022 में विवादित आराजी खसरा न0 1203 की किस्म गै0मु0 शमशान है जिसके पूर्ण रकबा 0.07 है0 पर अतिक्रमण अपीलान्ट द्वारा किया जाना अंकित है, साथ ही अपील अपीलान्ट दायर होने के पश्चात तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में वर्तमान में भी अपीलांट का कब्जा होना बताया है। सरकारी भूमि पर अपीलान्ट द्वारा किये गये अवैध कब्जे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 25.08.2022 उचित प्रतीत होता है। इसलिए अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)